सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Question)

प्रश्न 1. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एन.सी.टी.ई. पाठ्यक्रम की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन (Registration) कहाँ करना होगा ?

उत्तर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एन.सी.टी.ई. पाठ्यक्रम की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया हेतु पंजीयन (Registration) हेतु एम.पी. ऑनलाइन के पोर्टल https://hed. mponline.gov.in पर क्लिक करें । इसके पश्चात एन.सी.टी.ई. के आइकन पर क्लिक कर संबंधित पाठ्यक्रम पर पंजीयन फार्म की लिंक उपलब्ध होगी।

प्रश्न 2. क्या पंजीयन फार्म में त्रुटि सुधार संभव है ?

उत्तर हाँ, पंजीयन आवेदन फार्म में निर्धारित अवधि तक त्रुटि सुधार हेतु आवेदक निकटतम शासकीय महाविद्यालय (हेल्प सेन्टर) पर जाकर त्रुटि सुधार करवा सकेंगे।

प्रश्न 3. पंजीयन के पश्चात सत्यापन कहाँ कराना होगा ?

उत्तर पंजीकृत आवेदकों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक के दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया शासकीय महाविद्यालयों (हेल्प सेंटर) के माध्यम से ऑनलाईन सम्पन्न की जाएगी।

प्रश्न 4. स्नातक अंतिम वर्ष /छटवे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रवीणता हेतु पंजीयन फार्म में कौन से प्राप्तांक/प्रतिशत दर्ज करना होगा ?

उत्तर अर्हकारी स्नातक अंतिम वर्ष/छटवे सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की स्थिति में प्रावधिक प्रवेश हेतु प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक के प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन के समय दर्ज करना होगा। गुणानुक्रम का निर्धारण प्रावधिक प्रवेश हेतु दर्ज प्राप्तांकों के आधार पर ही होगा।

प्रश्न 5. प्रवेश शुल्क भुगतान किस प्रकार किया जा सकता है ?

उत्तर प्रवेश शुल्क का भुगतान आवेदक Net Banking / Credit Card / Debit Card / UPI के माध्यम से स्वयं कर सकेगा या उपरोक्त सुविधा उपलब्ध न होने पर कियोस्क के माध्यम से शुल्क भुगतान कर अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकेगा ।

प्रश्न 6. क्या प्रवेश के समय ही प्रवेश शुल्क की सम्पूर्ण राशि का भुगतान करना होगा ?

उत्तर ऑनलाइन सीट आवंटन उपरांत आवेदक को शुल्क विनियामक समिति द्वारा आवंटित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय हेतु निर्धारित प्रवेश शुल्क की आधी राशि एम.पी.ऑनलाइ के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराना होगा। शेष आधी राशि का भुगतान प्रवेशित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में दो किश्तों में डिजिटल माध्यम से जमा कराना अनिवार्य होगा।

प्रश्न 7. प्रवेश शुल्क भुगतान के समय ट्रांजेक्शन फेल (Transacation Fail) होने की स्थिति में क्या करना होगा ?

उत्तर प्रवेश शुल्क का ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति में आवेदक का प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा। अतः ट्रांजेक्शन की फेल होने की स्थिति में आवेदक को पुनः पोर्टल के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में प्रवेश शुल्क भुगतान कराना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदक का नाम प्रवेश सूची में दर्शित नहीं होगा।

प्रश्न 8. सीट आवंटन न होने की स्थिति में मुझे क्या करना होगा ?

उत्तर सीट आवंटित न होने पर आगामी चरण में शामिल होने हेतु समय–सारणी अनुसार पुनःवरीयता व्यक्त करना होगा।

प्रश्न 9. महाविद्यालय आवंटित होने पर परन्तु प्रवेश नही लेने पर आगामी चरण की प्रवेश प्रक्रिया शामिल होने हेतु क्या करना होगा ?

उत्तर यदि आवेदक को महाविद्यालय आवंटित होता है एवं वह उस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता है तो ऐसी स्थिति में आगामी चरण में उसे तब तक स्वतः कोई महाविद्यालय नहीं किया जाएगा जब तक वह अपनी च्वाइस/विकल्प पुनः न भर दे।

प्रशन 10. बी.पी.एड/एम.पी.एड. में पाठ्यक्रम में फिटनेस टेस्ट उत्तीर्ण/अनुउत्तीर्ण आवेदक क्या आगामी चरण में फिटनेस टेस्ट में पुनः शामिल हो सकता है ?

उत्तर हाँ फिटनेस टेस्ट में उत्तीर्ण/अनुउत्तीर्ण आवेदक यदि उस चरण में आवंटन/प्रवेश में स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं ऐसे आवेदकों को आगामी चरण में वरीयता व्यक्त करने से पूर्व फिटनेस टेस्ट में पुनः सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा।

प्रश्न 11. प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात प्रवेश निरस्तीकरण एवं शुल्क वापसी की प्रक्रिया क्या होगी ?

उत्तर आवेदक को प्रवेश निरस्तीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन निरस्तीकरण ओ.टी.पी. आधारित होने से प्रवेश स्वमेव निरस्त हो जाएगा। प्रवेश ऑनलाइन निरस्त होने पर विभागीय पोर्टल के माध्यम प्रवेश शुल्क की पूर्ण राशि ऑनलाइन वापस की जाएगी।

प्रश्न 12. प्रवेश निरस्त होने के पश्चात प्रवेश शुल्क रिफन्ड कहाँ होगा ?

उत्तर प्रवेश निरस्त होने के पश्चात प्रवेश शुल्क का रिफन्ड उसी खाते में किया जावेगा जिस खाते से आवेदक द्वारा प्रवेश शुल्क का भुगतान किया गया होगा।

प्रश्न 13. बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु मान्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कितने वर्ष की होनी चाहिए ?

उत्तर . उन्हीं स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों को मान्य किया जावेगा जिनकी पाठ्यक्रम अवधि क्रमशः न्यूनतम तीन वर्ष एवं दो वर्ष की होगी।